कार्यालय
क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)
Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120
E-mail: fdptr@rediffmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

प्रेस नोट

पन्ना टाईगर रिजर्व का बफर जोन निर्माण

पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर कुछ जन प्रतिनिधि, मीडिया एवं आम जनता की धारणायें बफर जोन बनाने के विपरीत हैं। ऐसा समझाा जा रहा है कि बफर जोन बनने से बफर जोन का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के रूप में परिवर्तित हो जायेगा एवं उपरोक्त क्षेत्र में समस्त विकास कार्य प्रतिबन्धित हो जायेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में वास्तविकता निम्नानुसार हैः–

किसी भी बाघ परियोजना ईकाई हेतु वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 वी 4(2) के अन्तर्गत बफर जोन बनाया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

बफर जोन गठन हेतु एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बफर जोन का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में शासन के स्तर से श्री टी.आर.शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पन्ना टाईगर रिजर्व के उपलक्ष में बफरजोन गठन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। उपरोक्त क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व क सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिसमें वन एवं ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है। इस बफर जोन के अन्तर्गत पन्ना एवं छतरपुर जिलें का कुल 776.18 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र एवं 39 पंचायतें एवं 68 ग्राम आते है।

बफर जोन गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को वनोपज सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति यहां के वनों से की जा सके। साथ ही कोर क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणियों हेतु एक उपयुक्त व सुरक्षित वन क्षेत्र उपलब्ध हो सके। ऐसे वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय निरन्तरता बनाये रहे एवं वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में एक रूपता आ सके।

टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में वन्य प्राणियों के हिसाब से एक प्रजनन क्षेत्र (नर्सरी) है। टाईगर ईकोलॉजी के मुताविक वयस्क बाघ कोर क्षेत्र के बेहतर क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखते हैं। वृद्ध एवं अवयस्क बाघ उस प्रजनन क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में ही पनपते हैं। अतः सभी बुजुर्ग बाघ अप्राकृतिक जीवन समाप्ति की ओर न चलें एवं अर्धवयस्क बाघ कोर एरिया के में अपने टेरीटोरी स्थापित कर लें तब तक इनका अस्तित्व सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रबन्धन व सुरक्षा की नजर से सुदृढ़ हो, इसकी आवश्यक है। यह देखा गया है कि टाईगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्रों में संसाधन व व्यवस्था की कमी से टाईगर रिजर्व के अनुरूप सुरक्षा व प्रबन्धन संभव नहीं है। अतः टाईगर रिजर्व व उससे लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में (जिसे बफर जोन कहा जाता है) प्रबन्धन व सुरक्षा की एकरूपता लाने के उद्देश्य से बफर जोन का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

बफर जोन निर्माण से कुछ भ्रांतियां जनमानस में है जिसकी वास्तविकता निम्नानुसार है :–

क्रमांक	भ्रांतियां	वास्तविकता
1	बफर जोन घोषणा में यह क्षेत्र बाद में अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जायेगा जिससे राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य के सभी नियम व कानून बफर जोन में लागेगा।	इस प्रकार का भ्रम गलत है। वास्तविकता में इस प्रकार का भ्रम सत्यता से परे है। अकेला बफर जोन में घोषित होने से वह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता।

2	बफर जोन में घोषित होने से वहां की जनता को निस्तारी व अन्य सुविधाओं से बंचित हो जायेगे।	बफर जोन के गठन के कारण सामान्य वानिकी कार्य, रोजगार सम्बन्धी कार्य, विकास कार्य एवं स्थानीय लोगों की सामाजिक/सांस्कृतिक अधिकार नियमानुसार यथावत बने रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी। बफर जोन में आने वाल सभी ग्रामों व ग्रामीणों को लघु वनोपज संग्रहण एवं निस्ता के अधिकार जैसे तेंदू पत्ता संग्रहण, महुआ संग्रहण, पशु चराई आदि तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मान्य किये गये अधिकार नियमानुसार यथावत रहेंगे।
3	बफर जोन गठित होने से खदान की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।	बफर जोन की घोषणा होने से किसी भी प्रकार का वैधानिक खनन का कार्य प्रतिबन्धित नहीं होगा। देश एवं राज्य के कानूनों के मुताविक खनन के कार्य संचालित होंगे।

सम्बन्धित क्षेत्रों को बफर जोने म लेने से केन्द्र शासन प्रोजेक्ट टाईगर से ईको विकास के लिए और राशि उपलब्ध होने की भरपूर संभावनायें हैं जिससे ग्रामीणों का बेहतर विकास संभव हो सकेगा। अन्यथा आज की स्थिति में जो विकास कार्य बफर जोन में हो रहे हैं उसमें बफर जोन के गठन से किसी पकार का रोडा नहीं आयेगा।

पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों व ग्रामों की सूची संलग्न है।

संलग्न– ग्रामों की सूची

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व,पन्ना

पन्ना टाईगर रिजर्व के प्रस्तावित बफर जोन में आने वाले ग्रामों का ग्राम पंचायत बार सूची

जिला का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4
पन्ना	पन्ना	जरधोवा	अकौला
		दहलान चौकी	माझा दहलान चौकी
		खजरी कुडार	खजरी कुडार
		जमनुहाई	मठली पाठा
		इटवाँकला	रमपुरा कण्डवाहा
		तालगाँव	कुड़न गहदरा
		कटहरी बिलहटा	कटहरी बिलहटा
	योग	07	10
	मड़ला	मड़ला	मड़ला
		ललार	ललार टपरियन
	योग	02	03
	गहरीघाट	कटहरी बिलहटा	कोनी मझोली
		रामपुर	मरहा खमरी ककरा मुतवा कचनारी
	योग	02	06
	गगऊ अभ्यारण्य	भपतपुर	भपतपुर
		देवरा भपतपुर	देवरा भपतपुर
		सलैया	सलैया
		झिन्ना	झिन्ना छापर
		बगौहा	बगौहा, नहरी, हरसा
		मनौर	मनौर जरूआपुर
		पुराना पन्ना	पुराना पन्ना
		मनकी	मनकी कटरिया अमझिरिया
		जरधोवा	जरधोवा
		कुँजवन	कुँजवन केरवन

	योग	10	17
	के0घ0अ0 खजुराहो	गुमानगंज	गुमानगंज
		बिलाही	बिलाही सिमरा
		देवरा भपतपुर	देवरा भपतपुर
		कुँवरपुर	कुँवरपुर वनहरी छोटी वनहरी बडी
		पड़रहा	पड़रहा अमहा (निमहा) सिनहाई धवारी
		मझगांव	बरा
		बनहरी खुर्द	टौरिया (हनुमतपुरा)
		सब्दुआ	सब्दुआ हरानी
		बरियापुर	बरियापुर
	योग	09	16
	जिलावार योग	30	52
छतरपुर	किशनगढ़	नैगुआ	बृजपुरा नरौली पटौरी ककरा (पाठापुर)
		बहिरपुरा	बहिरपुरा
		नगदा	नगदा
		उचारा	उचारा
		किशनगढ़	किशनगढ़
	योग	05	08
	चन्दनगर	पाटन	पाटन बरबसपुरा बाहरपुरा
		भुसौर	भुसौर सीलौन
		कावर	कावर करोदिया
		मझगवाँ	मझगवाँ
	योग	04	08
	जिलावार योग	09	16
दोनो जिलो का महायोग		39	68